

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

आंतर कार्यालयीन ज्ञापन

प्रेषक :-

महाप्रबन्धक

प्रधान कार्यालय, इन्दौर

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक/शाखा प्रबंधक

समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/समस्त शाखाएं

सन्दर्भ : प्रका/अनु./2025-26/01

दिनांक: 01.05.2025

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक के ग्राहकों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु समिति का गठन करने विषयक

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र क्र. सी.जी.डी.एल.-अ.-07042025-262329, क्र. 1604,का.अ. 1630 (अ) दिनांक 7 अप्रैल 2025 के अनुसार, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक का 01 मई 2025 से सम्मेलन किया जा रहा है। इस संदर्भ में, सम्मेलन प्रक्रिया से संबंधित पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण समिति गठित करने का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है जिसके अनुपालन में निम्नानुसार उक्त समिति का गठन किया गया है।

समिति का गठन:

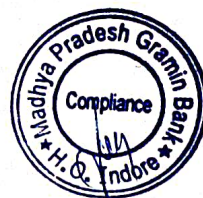
निम्नलिखित अधिकारियों को शिकायत निवारण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है :-

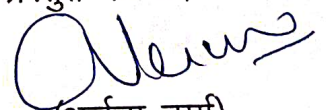
क्र.	अधिकारी का नाम	पद	विभाग	कार्यालय	मो. नंबर
1.	श्री नीलेश शर्मा	वरिष्ठ प्रबन्धक	मां.स.वि. विभाग	प्रधान कार्यालय, इन्दौर	9406638227
2.	श्री शिवम श्रीवास्तव	वरिष्ठ प्रबन्धक	अनुपालन विभाग	प्रधान कार्यालय, इन्दौर	9752775320
3.	श्री प्रशांत कामत (विशेष रूप से सोशल मीडिया पर सम्मेलन से संबंधित शिकायतों की निरंतर निगरानी के लिए)	वरिष्ठ प्रबन्धक	सूचना सुरक्षा कक्ष	प्रधान कार्यालय, इन्दौर	9109304062
4.	श्री केदार परिहार	वरिष्ठ प्रबन्धक	मां.स.वि. विभाग	ट्रांजिट कार्यालय, सागर	9981443232
5.	श्री विजय प्रतापसिंह तोमर	प्रबन्धक	अनुपालन विभाग	ट्रांजिट कार्यालय, सागर	9893005670

➤ ग्राहक अपनी शिकायत बैंक के नंबर 0731-2445333 तथा बैंक वेबसाइट www.mpgb.co.in पर Customer Grievance में जा कर दर्ज करा सकते हैं।

समिति के कार्यक्षेत्र:

- ❖ पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एवं मध्यांचल ग्रामीण बैंक के ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतों की जाँच एवं निवारण करना।
- ❖ सम्मेलन प्रक्रिया से उत्पन्न कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना।
- ❖ एक सुगम सम्मेलन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- ❖ शिकायतों की स्थिति के संबंध में अध्यक्ष महोदय को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।




(अर्चना वर्मा)

महाप्रबंधक